भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 200

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

आयकर की ई-फाइलिंग

200. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ई-फाइलिंग के माध्यम से दाखिल आयकर की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्त वर्ष में भरी गई आयकर विवरणी की संख्या कितनी है और कितनी मात्रा में प्रतिदाय जारी किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर छोटे करदाताओं को प्रतिदाय जारी करने के विषय को उच्च प्राथमिकता देने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लोगों को ई-फाइलिंग के माध्यम से आयकर विवरणी भरने के संबंध में शिक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा आयकर विवरणी की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और ई-फाइलिंग की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमन)

(क) तथा (ख): जी हाँ, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए दायर की गई 5,47,30,304 ई-विवरणी की तुलना में कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत की गई ई-विवरणियों की संख्या 6,49,39,586 है जिससे इसमें पूर्व कर निर्धारण वर्ष के ऊपर 18.65% की उल्लेखनीय वृद्धि बनती है। वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 7.19 करोड़ आय कर विवरणियों (आईटीआरएस) संसाधित की गई हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में जारी किए गए प्रतिदाय (रिफंड) की कुल राशि 1,61,457.6 करोड़ रूपए है।

(ग): जी हाँ, सरकार ने छोटे करदाताओं सहित सभी करदाताओं के लिए प्रतिदाय जारी करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। जांच के लिए आईटीआर का 0.5% से भी कम का चयन किया जाता है, अधिकांश आईटीआर तेजी से संसाधित की जाती हैं और प्रतिदाय जारी किए जाते हैं। आईटीआर के संसाधन में सूचना प्रौद्योगिकी के ज्यादा अपनाने से कम हस्तक्षेप सत्यापन पर जोर देने से आईटीआर संसाधित करने हेतु लिए गए समय में निरंतर कमी आ रही है। 64,700 करोड़ रूपए की राशि की रिफंड इस वित्त वर्ष में 18/6/2019 तक पहले ही जारी कर दी गई हैं। सरकार ने मार्च 2019 से आय कर रिफंडों को केवल ईसीएस से जारी करना अनिवार्य कर दिया है, अतः बैंक खातों में सीधे ही शीघ्र रिफंड क्रेडिट होती है। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों को 5,000 रूपए तक की रिफंड, यदि कोई हो, बकाया मांग के प्रति बिना किसी समायोजन के जारी करने का निर्देश दिया गया है।

(घ) तथा (ड़): जी हां, सरकार ने करदाताओं को अपनी आईटीआर ई-फाइल करने हेतु शिक्षित करने के लिए कई उपाय किए हैं। आउटरीच उपायों में ई-फाइलिंग में प्रशिक्षण, कार्यशालाओं को आयोजित करना और जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं जिन्हें आयकर विभाग द्वारा शुरू किया जा रहा है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में करदाताओं की चिंताओं का हल करने और इन्हें आईटीआर ई-फाइलिंग करने में मार्गदर्शन करने के लिए आयकर सेवा केंद्र (एएसवे स्थापित किए गए हैं। आयकर विभाग की सरकारी वेबसाइट आईटीआर को ई-फाइल करने का क्रमशः मार्गदर्शन प्रदान करती है। सरकार लोगों को अपनी आईटीआर ई-फाइलिंग करने पर शिक्षित करने के लिए प्रिंट मीडिया, श्रव्य-दृश्य मीडिया और साथ ही सामाजिक मीडिया का भी प्रयोग कर रही है। करदाताओं से अपनी आईटीआर ऑनलाइन प्रस्तुत करने के विषय में इन्हें शिक्षित और प्रोत्साहित करने हेतु व्यस्ततम ई-फाइलिंग अवधियों के दौरान प्रत्येक वर्ष समाचार पत्रों में नियमित विज्ञापन और इंटरनेट में न्यूज पोर्टल दिए जाते हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में करदाताओं को कुल 26.9 करोड़ एसएमएस और ई-मेल्स भेजे गए थे जिनमें इन्हें आईटीआर समय पर प्रस्तुत करने व अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बारे में स्मरण कराया गया।

(च) जी हां, हाल ही में, जनवरी, 2019 में, सरकार ने आयकर विभाग की एकीकृत ई-फाइलिंग तथा केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) 2.0 परियोजना(प्रोजेक्ट) को अनुमोदित किया है। सीपीसी 2.0 परियोजना के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(i) सीपीसी 2.0 परियोजना (प्रोजेक्ट) में आयकर विभाग को आयकर विवरणियों (आईटीआर) के पहले से दायर किये जाने तथा कर प्रदाताओं द्वारा इसकी स्वीकृति परिकल्पित है ताकि विवरणी में निहित सूचना की परिशुद्धता को सुधारा जा सके तथा विवरणियों के संसाधन तथा रिफंड में मौजूदा लगने वाले (टर्न अराउंड) समय को तेजी से कम किया जा सके।

(ii)सीपीसी 2.0 परियोजना आईटीआर को एक सुसंगत, एकसमान, नियमों से संचालित, वैयक्तिक पहचान के बिना संसाधित करेगी। इससे सभी करप्रदाताओं के बीच उनकी स्थिति में भेदभाव किए बिना कर व्यवहार में समान व्यवहार सुनिश्चित होगा।

(iii) सीपीसी 2.0 परियोजना(प्रोजेक्ट)से, आयकर विभाग की जवाबदेही तथा पारदर्शिता में महत्वपूर्ण रूप से सुधार होगा क्योंकि विवरणियों का संसाधन तथा रिफंडों को जारी किया जाना विभाग के साथ इंटरफेस किए बिना हो सकेगा।

(iv) सीपीसी 2.0 परियोजना (प्रोजेक्ट) सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों तथा मानकों का पालन करेगी। यह करप्रदाताओं को, अद्यतन संसाधन स्थिति(प्रोसेसिंग स्टेटस अपडेट), मोबाइल एप्प, ई-मेल, एसएमएस का प्रयोग करते हुए तीव्र संप्रेषण तथा आयकर विभाग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित करता रहेगा।

(v) सीपीसी 2.0 परियोजना(प्रोजेक्ट) में करप्रदाताओं की सहायता के लिए एकीकृत सूचना केंद्रों की स्थापना करना तथा करप्रदाताओं और दूसरे पणधारकों को शामिल करते हुए प्रभावी तरीके से डिजिटल मीडिया के माध्यम से आउटरीच प्रोग्राम चलाना परिकल्पित है।

अत: सीपीसी 2.0 परियोजना, स्वैच्छिक कर अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने के सरकारी उद्देश्य के अतिरिक्त आईटीआर को ई-फाइलिंग व प्रोसस करने की प्रक्रिया को आसान भी बनाएगी व करप्रदाताओं को प्राप्त होने वाली सेवाओं का महत्वपूर्ण रूप से संवर्धन करेंगी।

****